

देवघर समाहरणालय  
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

दिनांक : 27/1/18

अधिसूचना संख्या 77/भू अ0


चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-कुल्हड़िया, थाना-देवघर, थाना सं०-598, अंचल :-मोहनपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर बाईपास (रिंग रोड) पथ निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-कुल्हड़िया, थाना-देवघर, थाना सं०-598, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.025 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क. सं.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	11	रैयती	बाड़ी-2	0.015	दामोदर झा वो प्रभाकर झा वो जय प्रकाश झा वो चन्द्रकान्त झा वो पंचानन्द झा पे० भोला नाथ झा वो राजेश झा पिता जगरनाथ झा वो गनेश झा वो महेश्वर झा पिता स्व० वासुदेव झा वो हरिमोहन झा वो सुभाष झा वो शिवशंकर झा वो विजय झा पिता स्व० राधेश्याम झा वो रविन्द्र कुमार झा वो अरुण कुमार झा वो उमाकान्त झा वो कुलजीवन झा पे० रामेश्वर झा वो रूकमणी देव्या पति स्व० विन्देश्वरी झा वो अनपूर्णा देवी पति स्व० विनोदानन्द झा वो कृष्णानन्द झा पे० मुक्ति नाथ झा वो जानकी झा पति स्व० कमला कान्त झा वो पूर्णानन्द झा वो राजेन्द्र झा वो कैलाश झा पे० रघुनाथ झा अंश समान सा० कर्णकोल।	मौजा-मधुबन नं०-599	मौजा-मधुबन नं०-599	मौजा-मधुबन नं०-599	अर्जित दाग का अंश रकवा
2	4	11	रैयती	बाड़ी-2	0.005	तथैव।				
3	4	5	रैयती	बाड़ी-2	0.005	तथैव।				
कुल रकवा-					0.025					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

  
20/11/18  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक 77 / भू अ0, देवघर, दिनांक 27/11/18

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

  
20/11/18  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।